



2026:AHC:33584

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट-ए संख्या- 2258 सन् 2026

रामजनम यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अच्छे लाल सिंह यादव, अवधेश कुमार मालवीय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए० के० मालवीय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने कहा है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे मामले में बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते और निवेदन करते हैं कि याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए स्थिति से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 1976 से 1983 के बीच अलग-अलग समय पर अप्रशिक्षित लेखपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता की सेवाएं 08.09.2011 को समाप्त कर दी गईं, जिसे रिट-ए संख्या 55778 सन् 2011, राम जनम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में चुनौती दी गई थी, जिसमें 23.09.2011 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

“याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 1989 में आयोजित लेखपाल परीक्षा में हुआ था और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद, जब परिणाम घोषित नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 19555 सन् 1992 के माध्यम से इस न्यायालय में पहुंचा। इस न्यायालय ने 22 मार्च, 2005 के एक आदेश द्वारा प्रत्यर्थीगण को परिणाम घोषित करने

2

का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उक्त आदेश को विशेष अपील में भी पुष्टि की गई है। इसके बावजूद, जब परिणाम घोषित नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका (अवमानना प्रार्थना पत्र) (सिविल)संख्या 2269 सन् 2005 दाखिल किया अवमानना कार्यवाही के विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण ने सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 4623 सन् 2008 दाखिल की, जिसे 2 जून, 2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अवमानना कार्यवाही में, न्यायालय ने प्रत्यर्थी को या तो रिट याचिका में पारित आदेश का पालन करने या स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में, 15 सितंबर, 2010 को परिणाम घोषित किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता को 21 सितंबर, 2010 को नियुक्ति पत्र जारी किया

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया, जो रिट याचिका का उपाबंध-9 है। जब याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 5506 सन् 2011 दाखिल करके इस न्यायालय में पुनः पहुंचा, जिसमें याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। अब, दिनांकित 8.09.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं इस आधार पर समाप्त कर दी गई हैं कि जांच करने पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने तहसील फरेंदा, जिला महाराजगंज में कभी काम नहीं किया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है क्योंकि यह आदेश याचिकाकर्ता को कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया है। कथित जांच को भी चुनौती दी गई है।

प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों में दम प्रतीत होता है। इस मामले पर विचार करना आवश्यक है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा और उन्हें यह समय दिया गया, जिसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया जा सकता है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता को जांच रिपोर्ट और तहसील फरेंदा, जिला महाराजगंज का अभिलेख भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जहां याचिकाकर्ता को परिणाम घोषित होने के बाद तैनात किया गया था।

इसके बाद सूची बद्ध किया जाए।

3

अगली सुनवाई की तारीख तक, दिनांकित 8.9.2011 के आदेश का संचालन स्थगित रहेगा।”

5. याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट-ए संख्या 59038 सन् 2011, दारा सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दिनांकित 18.10.2022 को पारित आदेश के प्रकाश में, जिसके विरुद्ध अंतर-न्यायालय अपील दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई थी, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल रिट याचिका को 09.01.2024 को स्वीकार कर लिया गया (जिसका आदेश पेपर बुक के पृष्ठ-55 पर संलग्न है)। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता 31.08.2024 को सेवानिवृत्त हो गया, हालांकि, याचिकाकर्ता को प्रारंभिक नियुक्ति से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।

5. इस रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाए कि वे रिट याचिकाकर्ता द्वारा 23.12.1990 से दी गई प्रारंभिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता को पेंशन प्रदान करें।

7. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि पेपर-बुक के पृष्ठ-71 पर एक सिफारिश है, उनके अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया तीसरे प्रत्यर्थी, जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

8. मैंने बार द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के दिनांकित 8.09.2011 के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा रिट-ए संख्या 55778 सन् 2011 दाखिल की गई थी, जिसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और रिट याचिका पर अंततः

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 09.01.2024 को दिनांकित 8.09.2011 के आदेश को रद्द करते हुए निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई इस प्रकार की रिट याचिका पर दिनांकित 18.10.2012 को रिट-ए संख्या 59038 सन् 2011 में पारित निर्णय और आदेश के अनुसार निर्णय लिया गया। दारा सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जिसमें सेवा समाप्ति के समान आदेशों को रद्द कर दिया गया था और सभी परिणामी लाभों सहित बहाली का निर्देश दिया गया था, और उक्त आदेशों के बाद, याचिकाकर्ता के मामले में आदेश पारित किया गया। चूंकि बहाली पूर्ण वेतन सहित की गई थी, इसलिए न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तिथि, अर्थात् 23.12.1990 से पेंशन का हकदार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

4

गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से जारी दिनांकित 10.10.2024 का एक अनुशंसा पत्र उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ के आयुक्त एवं सचिव को संबोधित है, इसलिए याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:-

(क) रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट उक्त प्रस्ताव पर उचित कदम उठाएंगे और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ के अध्यक्ष/सचिव के सहयोग से याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर करेंगे।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"